न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), आजमगढ़ ।

स्पेशल केस सं० ४७८/२०१९

स्टेट बनाम शकील अहमद आदि

मु०अ०सं० २८२/२०१७

धारा– १३५ विद्युत अधिनियम

थाना– गम्भीरपुर, जिला आजमगढ़ ।

दिनांक ०५.०२.२०२०ई०

पत्रावली पेश हुई। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिशासी अभियंता के पत्रांक को संदभर्ति करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त शकील अहमद द्वारा समन शुल्क सहित सम्पूर्ण देय जमा कर दिया है। मुकदमें का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः मुकदमा निस्तारित करने की कृपा करें। मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि मु०अ०सं० २८२/२०१७ धारा–१३५ बिद्युत अधिनियम, थाना गम्भीरपुर, जिला आजमगढ़ में थाना गम्भीरपुर, जिला आजमगढ़ की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण शकील अहमद,हरेन्द्र गिरी,सभाजीत मिश्रा व शंकर गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा द्वारा अधिशाषी अभियंता द्वारा निर्गत पत्रांक ३९९४ दिनांक ०१.१२.२०१८ को संदर्भित करते हुए यह कथन किया गया है कि मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें। अधि०अभि० आजमगढ़ की आख्या के अनुसार उपभोक्ता शकील अहमद द्वारा वर्तमान में बकाया धनराशि के विरूद्ध निर्धारण शुल्क रूपया १०,४८८/– रू० रसीद संख्या १२/७७५५४४ दिनांक ३०.११.२०१८ को एवं शमन शुल्क रू० ४,०००/– रसीद संख्या ११/७७५५४४ दिनांक ३०.११.२०१८ को जमा किया गया है। वाद सं० ४७८/२०१९ शकील अहमद के बावत नियमानुसार वापस/ समाप्त करने की कृपा करें। बिद्युत अधिनियम की धारा–१५२(२) उपधारा (१) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी। इसी अधिनियम की धारा (३) उपधारा (१) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना दण्ड प्रकिया संहिता १९७३(१९७४ का २)की धारा– ३०० के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जायेगी। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि ग्रहण किया जा चुका है जिसके बावत अधिशाषी अभियंता के पत्रांक ३९९४ दिनांक ०१.१२.२०१८ के अनुसार अभियुक्त शकील अहमद ने बकाया विद्युत बिल निर्धारण शुल्क १०,४८८/–रूपया व शमन शुल्क ४,०००/–रूपया का भुगतान कर दिया है। अपराध शमनीय है। अतः अभियुक्त शकील अहमद दोष मुक्त किये जाने योग्य है। शेष अभियुक्तगण के बावत मुकदमा चलेगा।

आदेश

अभियुक्त शकील अहमद को धारा– १३५ बिद्युत अधिनियम के आरोप में दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्त के बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण हरेन्द्र गिरी,सभाजीत मिश्रा व शंकर गुप्ता के बावत नियत तिथि १६.०४.२०२० को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(ई०सी०एक्ट), आजमगढ़ ।